न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 58 / 2014

बउनवान

रामलाल पुत्र मदनलाल जाति—धोबी निवासी—इकलेरा
तहसील—बारां, जिला—बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलक्टर

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री रघुवीरप्रसाद मीणा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक— 11.10.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 30.10.2007 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—इकलेरा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400/—रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों [illegible] होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश [illegible] अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं दिया है न हीं [illegible] मात्र हल्का पटवारी की झूठी व मनगंढत रिपोर्ट के आधार पर [illegible] भूल की है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है वर्तमान में [illegible] खाली पडी हुई है। बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2007 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा [illegible] मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए [illegible] कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है।

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2007 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 655/05 निर्णय दिनांक 18.3.2005 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर [illegible] 18.3.2005 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट [illegible] द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी चारागाह पर [illegible] आने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील [illegible] होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा [illegible] संख्या 397/2007 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2007 को यथावत [illegible] है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official